रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1519] नई दिल्ली, सोमवार, मई 29, 2017/ज्ये"B 8, 1939
No. 1519] NEW DELHI, MONDAY, MAY 29, 2017/JYAISTHA 8, 1939

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मई, 2017

का.आ. 1715(अ).—यत:, मै. नोकिया इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, ने तमिलनाडु राज्य के श्रीपेरम्बदुर, काँचीपुरम जिले में इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, आईटी हार्डवेयर और अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के निर्माण और असैम्बली के लिए एक विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतद्पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यत:, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त आधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्याआ का.आ. 1140 (अ) दिनांक 17 अगस्त, 2005 द्वारा उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन में 85.375 हेक्टेयर क्षेत्र को अधिसूचित कर दिया था;

और यत;, मैं. नोकिया इंडिया प्राईवेट लिमिटेड ने अब उक्त विशेष आर्थिक जोन के 3.98 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यत;, तमिलनाडु सरकार ने उनके दिनांक 6 मार्च, 2017 के पत्र सं. 340/एम.आई. ई-2/2017-2, के तहत प्रस्ताव को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है;

और यत;, विकास आयुक्त, मेप्स विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 3.98 हेक्टेयर क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव को संस्तुति की है;

और यत:, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संम्बधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है;

अत:, अब विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्व्दारा **3.98 हेक्टेयर** के क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन के भाग में से अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणत: कुल क्षेत्र **81.39 हेक्टेयर** हो जाएगा जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शामिल है, अर्थात:-

तालिका

क्र. सं.	**सर्वेक्षण संख्या**	**गाँव का नाम**	**प्रस्तावित अनधिसूचित क्षेत्रफल हेक्टेयर में**
1.	285पार्ट	पोंडुर सी	0.2920
2.	286पार्ट	पोंडुर सी	0.3300
3.	290/1 पार्ट & 290/2 पार्ट	पोंडुर सी	0.1050
4.	291/1	पोंडुर सी	0.0100
5.	291/2	पोंडुर सी	0.18500
6.	292/1	पोंडुर सी	0.0500
7.	292/2	पोंडुर सी	1.0200
8.	293/1	पोंडुर सी	0.0258
9.	293/2पार्ट	पोंडुर सी	0.7182
10.	294पार्ट	पोंडुर सी	0.4300
11.	301पार्ट	पोंडुर सी	0.3650
12.	300/ए पार्ट	पोंडुर सी	0.4460
13.		**कुल**	**3.98**
14.		**उपर्युक्त घटाव के बाद एसईजेड का कुल क्षेत्रफल**	**81.39**

[फा. सं. एफ.-2/15/2005-एसईजेड]

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th May, 2017

S.O. 1715(E).—Whereas, M/s. Nokia India Private Limited, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for Manufacture and assembly of electronics, telecommunications, IT Hardware and R&D activities at Sriperumbudur, Kancheepuram District in the State of Tamil Nadu;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified an area of 85.375 hectares vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S. O. 1140 (E) dated 17.08.2005;

AND, WHEREAS, M/s. Nokia India Pvt. Ltd has now proposed for de-notification of 3.98 hectares at the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Tamil Nadu has given its approval to the proposal vide letter No. 340/MIE.2/2017-2, dated 06th March, 2017;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, MEPZ Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of an area of 3.98 hectares of the Special Economic Zone;

NOW, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby **de-notifies an area of 3.98 hectares**, thereby making resultant area as **81.39 hectares**, comprising the survey numbers and the area given below in the table, namely:-

TABLE

Sl. No.	**Survey No.**	**Name of Village**	**Proposed denotified area in hectares**
1.	285Pt	Pondur C	0.2920
2.	286Pt	Pondur C	0.3300
3.	290/1 Pt & 290/2 Pt	Pondur C	0.1050
4.	291/1	Pondur C	0.0100
5.	291/2	Pondur C	0.18500
6.	292/1	Pondur C	0.0500
7.	292/2	Pondur C	1.0200
8.	293/1	Pondur C	0.0258
9.	293/2Pt	Pondur C	0.7182
10.	294Pt	Pondur C	0.4300
11.	301Pt	Pondur C	0.3650
12.	300/APt	Pondur C	0.4460
13.		**Total Area**	**3.98**
14.		**Total remaining area of the SEZ after above deletion**	**81.39**

[F. No. F-2/15/2005-SEZ]

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Addl. Secy.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.05.31 18:05:36 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.